फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

बाबूलाल **बनाम** रामनारायण

[संख]्या / वर्ष : 136 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/6/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प जमवारामगढ़ में पेश हुई। उभय पक्षों में [illegible] नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/22 को पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)	
26/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] कार्य स्थगित रखने [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार ~~वास्ते तलबी / जवाब~~ दिनांक 13/10/22 को पेश हो	
13/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रतिवादीगण अनु०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड से तामील करवाये जाने के बाद भी बावजूद सूचना के अनुप० बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन कोई उप० नहीं। अतः प्रतिवादीगण नं० 1 ता 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/11/22 को पेश हो	
04/11/22	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/11/22 पेश हो	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/11/22	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालीय / कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/22 पेश हो
	14/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई। लेकिन कोई उप० नहीं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुप० रहने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजर से कम हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।
		उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना RAS

ा नं0 /2020	दायर दिनांक 25/11/2020	फैसला दिनांक 14/11/2022

बाबूलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नाडी की ढाणी ग्राम हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जयपर।

वादी

बनाम

रामनारायण पुत्र बिरदीचन्द
बाबूलाल पुत्र रामनारायण
लाली पत्नि रामनारायण
कैलाश पुत्र बिरदीचन्द
झुथी देवी पत्नि कैलाश
समस्त जाति मीणा निवासी बास की ढाणी, ग्राम पापड, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेश कुमार पारीक

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं उसके सह खातेदारों कालू, जगदीश, तीजा, फूलचन्द, मूलचन्द, रामेश्वर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120/1 रकबा 0.4100 हैक्टेयर ग्राम पापड तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं उसके उक्त सहखातेदारों के नाम दर्ज स्थित है जिस पर वादी एवं सहखातेदार अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 120/1 के लगवा 138 आबादी भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के खामबाडे वगैराह बने हुये हे। प्रतिवादीगण उक्त वादी की भूमि खसरा नम्बर 120/1 पर अतिकमण करना चाहते है और कब्जा करने की नियत से लौहे के पिलर लगाकर टीनशेड लगाने पर आमादा है तथा ईटे इत्यादि मेटेरियल भी प्रतिवादीगण ने ईक्कठा कर लिया है और उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120/1 पर निर्माण करने पर उतारू है और खसरा नम्बर 120/1 की सीमाओं में प्रवेश कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 120/1 पर प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के जबरन कब्जा करने की फिराक में है और आये दिना झगडा फसाद करते है तथा दिनांक 23.11.2020 को प्रतिवादीगण एकजूट होकर के उक्त भूमि खसरा नम्बर 120/1 पर जबरन कब्जा करने की नियत से लौहे के पिलर लगाने पर और टीनशेड लगाने पर आमादा हो गये तथा ईटों की चुनाई करके पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो गये जिसे वादी ने बडी मुश्किल से रोका। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 120/1 रकबा 0.4100 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

स्थित ग्राम पापड, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 120/1 की सीमाओं में किसी प्रकार का निर्माण नही करें, ना ही पिल्लर इत्यादि गाडे और ना ही उक्त भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का कब्जा करें तथा खसरा नम्बर 120/1 की खातेदारी अधिकारों में कोई बाधा कारित नही करें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट से करवायें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 13.10.2022 को प्रतिवादी सं0 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण सं0 1 लगातय 5 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादीगण किया गया। लेकिन प्रतिवादीगण भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगणों को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें।

वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से एक–दूसरे के हिस्से तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पापड पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120/1 रकबा 0.4100 हैक्टेयर में व प्रतिवादीगणों की भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नही करें तथा किसी प्रकार का निर्माण नही करें, ना ही पिल्लर इत्यादि गाडे और ना ही उक्त भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार का कब्जा करें । उक्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट से करवायें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14/11/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर